न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 99/2007

वादीगण :-

1. पेमाराम पुत्र छोगाराम फौत
   के कायम मुकाम :-
   1/1 भीयाराम पुत्र पेमाराम
   1/2 पनालाल पुत्र पेमाराम
   1/3 भंवरीदेवी पुत्री पेमाराम
   1/4 फूलीदेवी पुत्री पेमाराम
2. खींयाराम पुत्र श्रीराम फौत
   के कायम मुकाम :-
   2/1 जसाराम पुत्र खीयाराम
   2/2 सजनी पुत्री खीयाराम
3. धन्नाराम पुत्र जयराम
4. रामस्वरुप पुत्र जयराम
5. तिजाई बेवा जयराम

जातियान-जाट, निवासी-खारचिया
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रुपाराम पुत्र देवाराम
2. चौथी पत्नि देवाराम
   नेनूड़ी बेवा भबूत नाऔलाद फौत
   के कायम मुकाम :-
   वादीगण व प्रतिवादीगण
3. भंवरुराम पुत्र देदाजी
4. मोहन पुत्र भागू
5. अशोक पुत्र भागू
6. तुलसाई बेवा भागू
7. तेजा पुत्र शिवराम फौत
   के कायम मुकाम :-
   7/1 चैनाराम पुत्र तेजा
   7/2 नेमाराम पुत्र तेजा
8. मांगू पुत्र शिवराम
   जातियान-जाट,निवासी-खारचिया
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
9. तहसीलदार, जैतारण
10. शाखा प्रबंधक एमजीबी
    शाखा - लाम्बिया
11. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे
    शाखा - आ0कालू
    तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा हक स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा आराजी (बंटवाड़ा) अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.02.06.2007

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 09/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा आराजी (बंटवाड़ा) अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-खारचिया, पटवारी हल्का-कांवलिया कलां, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सह हिस्सेदार एवं सह खातेदार व काश्तकार हैं। जिनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि स्थित हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरुष रुघाराम व सांवतराम हुए। रुघाराम के वारिसान देवाराम (फौत), हेमाराम (फौत) एवं जयराम (फौत) पुत्रान हुए। देवाराम (फौत) की पत्नि चौथी व पुत्र रुपाराम हुआ। जयराम (फौत) की पत्नि तिजाई व पुत्रगण धन्नाराम व रामस्वरुप हुए तथा सांवतराम के पुत्रगण छोगाराम (फौत) व श्रीराम (फौत) हुए तथा छोगाराम का पुत्र पेमाराम एवं श्रीराम का पुत्र खींयाराम हुआ। उक्त वर्णित वंश

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वृक्षावली के माफिक रूघाराम व सांवतराम जाति-जाट निवासी-खारचिया सह हिस्सेदार व सह खातेदार काश्तकार थे, जो शामलाती काश्त करते थे। वक्त सैटलमेन्ट के पूर्व में ही इन दोनों मुख्यान का स्वर्गवास हो गया था। बाद में रूघा के पुत्र हेमाराम व उनकी पत्नि का स्वर्गवास भी हो गया था। हेमाराम के कोई जायन्दा संतान नहीं थी। इसलिए वे लावल्द फौत हुए थे। इस प्रकार रूघाराम के दो उत्तराधिकारी देवाराम व जयराम थे। इसी प्रकार सांवत उत्तराधिकारी छोगाराम व श्रीराम थे। रूघाराम व सांवतराम के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन मौजा-खारचिया में स्थित थी, जिस पर कालान्तर में उनके वंशज काबिज हुए थे तथा वर्तमान में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज होकर के काश्त कर रहे हैं। मौजा-खारचिया में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 141, 174, 178, 203 कुन किता-4 कुल रकबा 13-01 बीघा, खसरा नम्बर 124, 128, 129, 169, 171, 172, 177, 182, 184 कुल किता-9 कुल रकबा 40-14 बीघा, खसरा नम्बर 133, 183 कुल किता-2 कुल रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 143, 179, 180, 181, 187, 189, 190, 199, 202, 202/1 कुल किता-9 कुल रकबा 27-17 बीघा, खसरा नम्बर 125, 130, 175, 176, 188, 200 कुल किता-6 कुल रकबा 15-12 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 1-03 बीघा, खसरा नम्बर 142, 168/1, 198, 201 कुल किता-4 कुल रकबा 9-16 बीघा, खसरा नम्बर 147 रकबा 5-10 बीघा किस्म बा0दो0, चा0चा0, चा0सो0 एवं गै0मु0 बेरा की आई हुई हैं। इस प्रकार से उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की सम्पूर्ण आराजी में से पद संख्या (झ) में वर्णित खसरा नम्बर 147 में प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के 1/3 हिस्से को छोड़कर शेष सम्पूर्ण आराजी में वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा 3 से 5 का 1/4 हिस्सा एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आया हुआ हैं। इसी माफिक पक्षकार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते रहे हैं। इस आराजी को वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालू जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश की हैं। वक्त सैटलमेन्ट के समय रूघाराम व सांवतराम के वंशज काश्त करते थे। लेकिन वक्त सैटलमेन्ट के समय सैटलमेन्ट विभाग की गलती से खसरा नम्बर 143 में छोगा पुत्र सांवतराम के साथ गलती से श्रीराम पुत्र सांवतराम का नाम दर्ज नहीं हुआ था, इसी प्रकार खसरा नम्बर 181, 189, 199, 202, 179, 187, 190, 180, 202/1 में देवाराम पुत्र रूघाराम के साथ जयराम पुत्र रूघाराम का नाम दर्ज नहीं हुआ। इसी प्रकार छोगाराम पुत्र सांवतराम के साथ श्रीराम पुत्र सांवतराम का नाम भी दर्ज नहीं हुआ था। इसी माफिक खसरा नम्बरा 188, 200, 167, 176, 125, 130, 175 में छोगा का नाम भी गलती से दर्ज नहीं हुआ था। जबकि मौके पर इनका भी कब्जा व काश्त था। इसी माफिक खसरा नम्बर 203, 174, 178, 141 में श्रीराम पुत्र सांवतराम के साथ छोगाराम पुत्र सांवलराम का भी 1/2 हिस्से में कब्जा काश्त था एवं शेष 1/2 हिस्से में देवाराम, जयराम पि0 रूघाराम का भी कब्जा व काश्त था, जो गलती से वक्त सैटलमेन्ट के समय छूट गया था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 182, 169, 171, 172, 177, 184, 124, 128, 129 में 1/2 हिस्से में देवा, जयराम पि0 रूघा का काश्त था। लेकिन गलती से उनका नाम छूट गया था। इस प्रकार से रूघाराम के पुत्र हेमाराम के लावन्द फौत हो जाने से उनके दो उत्तराधिकारी देवाराम व जयराम हुए जिनका इस सम्पूर्ण विवादित आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त था एवं उनके फौत होने पर उनके वंशजों का कब्जा व काश्त हैं। शेष 1/2वें हिस्से की आराजी पर छोगाराम व श्रीराम पि0 रूघाराम का कब्जा काश्त था तथा उनके फौत हो जाने पर वर्तमान में पेमाराम व खींयाराम प्रत्येक का 1/4वें हिस्से पर कब्जा काश्त हैं। नकल मिसल बन्दोबस्त वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। वक्त सैटलमेन्ट के समय ही वाद-पत्र के पद संख्या 2 (ज) की आराजी पर अकेले वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पूर्वज काबिज होकर के काश्त करते

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

थे। इसी प्रकार पद संख्या 2(झ) के 2/3वें हिस्से की आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते थे। नेनूड़ी बेवा भबूत नाम की महिला सैटलमेन्ट के पूर्व से ही लाडनू नाते चली गई थी एवं उनके कोई जायन्दा संतान नहीं थी। नेनूड़ी बाद मे लावल्द फौत हुई थी। भबूत वादीगण के ही पूर्वज हैं, जिनके पीछे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा अन्य कोई वंशज नहीं हैं एवं एक मात्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही इस विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त अपने पिता परपिता के समय से यानि सैटलमेन्ट के समय से ही चला आ रहा हैं। इस प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम की घोषणा पद संख्या 2(ज) में वर्णित सम्पूर्ण आराजी की घोषणा वादीगण के नाम की जानी आवश्यक होने से यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित आराजी के संबंध में पद संख्या 3 में वर्णित हिस्से के माफिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व उनके पूर्वज वक्त सैटलमेन्ट के समय से ही काबिज होकर के काश्त करते रहे हैं। लेकिन अलग-अलग खसरा नम्बरान् की आराजी अलग-अलग पूर्वजों के नाम दर्ज हो गई थी। जबकि काश्त सभी की शामलाती थी। लेकिन गलती से वादीगण सभी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज का नाम भी खसरा नम्बरान् की आराजी में दर्ज नहीं हो पाया था। माफिक हिस्सेनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर की आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 1/4वां हिस्सा प्रत्येक का तथा वादीगण संख्या 3 से 5 का 1/4वां हिससा संयुक्त रूप से एवं शेष 1/4वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का घोषित कया जाना आवश्यक होने से यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। कालान्तर में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज क्रमशः देवाराम, हेमाराम, जयराम, छोगाराम व श्रीराम के फौत हो जाने पर म्यूटेशन संख्या 25, 26, 64, 67, 73, 137, 138, 212, 213 व 228 माफिक वंशावली के अनुसार भरा गया था। जिनकी प्रमाणित प्रतियाँ इस वाद-पत्र के साथ पेश किया हैं। इन्हीं म्यूटेशन के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए थे। लेकिन हिस्सा पूर्वजों के हिस्से के माफिक ही प्रत्येक का 1/4 हिस्सा इस विवादित आराजी में रहा था। लेकिन इसी माफिक वादीगण राजस्व रेकर्ड में अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण का इस विवादित आराजी के संबंध में मौके पर आपसी समझाईश से बंटवाड़ा हो रखा हैं। माफिक बंटवाड़े के अनुसार मौका स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर वाद-पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। जिसमें आसमानी रंग से वादी धन्नाराम, रामस्वरूप पि0 जयराम व तिजाई के कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी दर्शाई गई हैं। रामस्वरूप वगैरह के हिस्से में खसरा नम्बर 124, 147, 177, 182, 199, 133 में से 6-02 बीघा की आराजी पर वादीगण संख्या 3 से 5 का कब्जा काश्त हैं। इस प्रकार नजरी नक्शे में हरे रंग से वादी संख्या 2 खींयाराम की आराजी दर्शाई गई हैं, जो खसरा नम्बर 141, 142, 174, 178, 200, 201, 203, 179 में से 3-00 बीघा, 181 में से 1-19 बीघा एवं 133 में से 3-01 बीघा की आराजी वादी खींयाराम के हिस्से व कब्जे काश्त में हैं। इसी माफिक नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित कृषि भूमि वादी पेमारा की खसरा नम्बर 125, 130, 143 में से 5-13 बीघा, 167, 175, 176, 181 में से 1-19 बीघा, 187, 188, 179 में से 4-00 बीघा व 133 में से 3-01 बीघा की आराजी को पेमाराम के कब्जे काश्त व हिस्से में हैं, जिस पर वह काश्त करते हैं एवं दीगर वादीगण भी उक्त वर्णित अनुसार व नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार ही काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शाई गई भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 169, 171, 172, 179 में से 6-17 बीघा, 184, 202, 143 में से 5-12 बीघा की आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जे व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्त में हैं। माफिक इसी बंटवाड़े के अनुसार वादीगण वर्षो पूर्व से काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में खाता शामलाती हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 2 रूपाराम से विवादित आराजी का बंटवाड़ा करा लेने के संबंध में कई बार कहा, तब पूर्व में प्रतिवादी रूपाराम स्वीकार करता रहा। लेकिन दिनांक 20/05/2007 को रूपाराम ने ऐसा बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के करवाने से स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया। जबकि वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाकर अपने हिस्से की भूमि का सुधार कर आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहते हैं। इसके लिए विवादित आराजी का नजरी नक्शे में वर्णितानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। लेकिन प्रतिवादी रूपाराम द्वारा इसमें सहमति नहीं देने से यह वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पेश किया हैं। वादी व प्रतिवादीगण माफिक नजरी नक्शे के अनुसार विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में सही नाम का इन्द्राज नहीं होने से एवं राजस्व खाता शामलाती होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बद्नियतिपूर्वक वादीगण के कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 2 राज्य कर्मचारी हैं। जिसकी बहुत ही मजबूत आर्थिक स्थिति हैं। वह खसरा नम्बर 183 बेरा झालरा से वादीगण के वंचित करने की नियत से एवं वादी धनाराम के हिस्से में व कब्जे काश्त की आराजी को दबाने की नियत से उसके खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 182 में पक्की दीवार बना रहा हैं तथा बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराये उक्त आराजी पर पक्का निर्माण कर रहा हैं। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कारण की आराजी शामलाती हैं, जिसका अभी नापचौंप कर सीमाज्ञान भी नहीं किया हुआ हैं। वादीगण गरीब काश्तकार व्यक्ति जिनकी आजीविका का एक मात्र जरिया यह कृषि भूमि ही हैं। जिससे प्रतिवादी रूपाराम वंचित करना चाहता हैं। अगर प्रतिवादी आराजी से बेदखल करने में सफल रहा तो वादीगण हमेशा-हमेशा के लिए अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं एवं वादीगण प्रतिवादी रूपाराम के ऐसे दुष्कृत्य का विरोध करेंगे, जिससे विवाद बढ़ेगा व वाद बाहुल्यता होगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अदालत हाजा में यह वाद-पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने से यह वाद-पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 इस विवादित आराजी के पद संख्या 2(झ) में वर्णित आराजी के सहहिस्सेदार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई ईश्तदुआ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के यहां खातेदारों की आराजी रहन रखी हुई होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार, जैतारण बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया हैं। तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं। उनके विरूद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। लेकिन यह वाद अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस डिस्पेन्सविथ करने बाबत् प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर अनुमति लेकर यह वाद-पत्र पेश किया जा रहा हैं। बिनायवाद दिनांक 20/05/2007 को प्रतिवादी रूपाराम द्वारा विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाने एवं खातेदारी की घोषणा करवाने से ईन्कार करने तथा बिना बंटवाड़े के ही चारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू कर देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-खारचिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद एवं अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में स्थित हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 11 तक को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदातल शिविर मजमा-ए-आम में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया, जो सा0मि0 किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कांवलिया कलां में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा-खारचिया, पटवारी हल्का-कांवलिया कलां, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 141, 174, 178, 203 कुन किता-4 कुल रकबा 13-01 बीघा, खसरा नम्बर 124, 128, 129, 169, 171, 172, 177, 182, 184 कुल किता-9 कुल रकबा 40-14 बीघा, खसरा नम्बर 133, 183 कुल किता-2 कुल रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 143, 179, 180, 181, 187, 189, 190, 199, 202, 202/1 कुल किता-9 कुल रकबा 27-17 बीघा, खसरा नम्बर 125, 130, 175, 176, 188, 200 कुल किता-6 कुल रकबा 15-12 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 1-03 बीघा, खसरा नम्बर 142, 168/1, 198, 201 कुल किता-4 कुल रकबा 9-16 बीघा, खसरा नम्बर 147 रकबा 5-10 बीघा किस्म बा0दो0, चा0चा0, चा0सो0 एवं गै0मु0 बेरा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया कि उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा / विभाजन प्रस्ताव पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 09/06/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खारचिया, पटवारी हल्का-कांवलिया कलां, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 141, 174, 178, 203 कुन किता-4 कुल रकबा 13-01 बीघा, खसरा नम्बर 124, 128, 129, 169, 171, 172, 177, 182, 184 कुल किता-9 कुल रकबा 40-14 बीघा, खसरा नम्बर 133, 183 कुल किता-2 कुल रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 143, 179, 180, 181, 187, 189, 190, 199, 202, 202/1 कुल किता-9 कुल रकबा 27-17 बीघा, खसरा नम्बर 125, 130, 175, 176, 188, 200 कुल किता-6 कुल रकबा 15-12 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 1-03 बीघा, खसरा नम्बर 142, 168/1, 198, 201 कुल किता-4 कुल रकबा 9-16 बीघा, खसरा नम्बर 147 रकबा 5-10 बीघा किस्म बा0दो0, चा0चा0, चा0सो0 एवं गै0मु0 बेरा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	भींयाराम पन्नाराम पि0 पेमाराम भंवरीदेवी फुलीदेवी पुत्रियाँ पेमाराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	125	1-15-00	बा0दो0
		130	2-18-00	बा0दो0
		143/मीन	5-13-00	चा0चा0
		167	1-03-00	चा0चा0
		175	0-04-00	गै.मु.बेरा
		176	7-02-00	चा0चा0
		181/मीन	1-19-00	
		187	3-00-00	
		188	1-16-00	चा0चा0
		179/मीन	4-00-00	चा0चा0
		133/मीन	3-01-00	
	योग	11	32-11-00	

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2	जस्साराम पि0 खीयाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	141 142 174 178 200 201 203 179/मीन 181/मीन 133/मीन	3-03-00 6-16-00 3-00-00 4-00-00 1-17-00 1-09-00 2-18-00 3-00-00 1-19-00 3-01-00	बा0दो0 बा0दो0 चा0चा0 चा0चा0 चा0चा0 चा0चा0 चा0चा0
योग		10	30-03-00	
3	रूपाराम पि0 देवाराम चौथी बेवा देवाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	128 129 169 171 172 184/मीन 184 202 143/मीन	5-05-00 3-18-00 4-05-00 1-05-00 1-02-00 6-17-00 7-02-00 2-10-00 5-12-00	बा0दो0 बा0दो0 चा0चा0 चा0चा0 चा0चा0 चा0चा0
योग		9	37-16-00	
4	धन्नाराम रामस्वरूप पि0 जयराम, तिजाई बेवा जयराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	124 147 177 182 199 133/मीन	4-13-00 5-10-00 9-06-00 3-18-00 3-11-00 6-02-00	बा0दो0 बा0दो0 चा0चा0 चा0चा0 चा0चा0
योग		6	33-00-00	

वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा एवं राजीनामा को निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 09/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–कांवलिया कलां पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. पेमाराम पुत्र छोगाराम फौत के कायम मुकाम :- 1/1 भीयाराम पुत्र पेमाराम 1/2 पनालाल पुत्र पेमाराम 1/3 भंवरीदेवी पुत्री पेमाराम 1/4 फूलीदेवी पुत्री पेमाराम 2. खींयाराम पुत्र श्रीराम फौत के कायम मुकाम :- 2/1 जसाराम पुत्र खीयाराम 2/2 सजनी पुत्री खीयाराम 3. धन्नाराम पुत्र जयराम 4. रामस्वरूप पुत्र जयराम 5. तिजाई बेवा जयराम जातियान-जाट, निवासी-खारचिया तह०-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. रूपाराम पुत्र देवाराम 2. चौथी पत्नि देवाराम नेनूड़ी बेवा भबूत नाऔलाद फौत के कायम मुकाम :- वादीगण व प्रतिवादीगण 3. भंवरूराम पुत्र देदाजी 4. मोहन पुत्र भागू 5. अशोक पुत्र भागू 6. तुलसाई बेवा भागू 7. तेजा पुत्र शिवराम फौत के कायम मुकाम :- 7/1 चैनाराम पुत्र तेजा 7/2 नेमाराम पुत्र तेजा 8. मांगू पुत्र शिवराम जातियान-जाट,निवासी-खारचिया तह०-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 9. तहसीलदार, जैतारण 10. शाखा प्रबंधक एमजीबी शाखा - लाम्बिया 11. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा - आ०कालू तह०-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा हक स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा आराजी (बंटवाड़ा) अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु०न० :रा०वा० स०:99/2007

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खारचिया, पटवारी हल्का-कांवलिया कलां, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 141, 174, 178, 203 कुल किता-4 कुल रकबा 13-01 बीघा, खसरा नम्बर 124, 128, 129, 169, 171, 172, 177, 182, 184 कुल किता-9 कुल रकबा 40-14 बीघा, खसरा नम्बर 133, 183 कुल किता-2 कुल रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 143, 179, 180, 181, 187, 189, 190, 199, 202, 202/1 कुल किता-9 कुल रकबा 27-17 बीघा, खसरा नम्बर 125, 130, 175, 176, 188, 200 कुल किता-6 कुल रकबा 15-12 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 1-03 बीघा, खसरा नम्बर 142, 168/1, 198, 201 कुल किता-4 कुल रकबा 9-16 बीघा, खसरा नम्बर 147 रकबा 5-10 बीघा किस्म बा०दो०, चा०चा०, चा०सो० एवं गै०मु० बेरा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	भींयाराम पन्नाराम पि0 पेमाराम भंवरीदेवी फुलीदेवी पुत्रियॉं पेमाराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	125	1-15-00	बा0दो0
		130	2-18-00	बा0दो0
		143/मीन	5-13-00	चा0चा0
		167	1-03-00	चा0चा0
		175	0-04-00	गै.मु.बेरा
		176	7-02-00	चा0चा0
		181/मीन	1-19-00	
		187	3-00-00	चा0चा0
		188	1-16-00	चा0चा0
		179/मीन	4-00-00	
		133/मीन	3-01-00	
	योग	11	32-11-00	
2	जस्साराम पि0 खीयाराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	141	3-03-00	बा0दो0
		142	6-16-00	बा0दो0
		174	3-00-00	चा0चा0
		178	4-00-00	चा0चा0
		200	1-17-00	चा0चा0
		201	1-09-00	चा0चा0
		203	2-18-00	चा0चा0
		179/मीन	3-00-00	
		181/मीन	1-19-00	
		133/मीन	3-01-00	
	योग	10	30-03-00	
3	रूपाराम पि0 देवाराम चौथी बेवा देवाराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	128	5-05-00	बा0दो0
		129	3-18-00	बा0दो0
		169	4-05-00	चा0चा0
		171	1-05-00	चा0चा0
		172	1-02-00	
		184/मीन	6-17-00	चा0चा0
		184	7-02-00	चा0चा0
		202	2-10-00	
		143/मीन	5-12-00	
	योग	9	37-16-00	
4	धन्नाराम रामस्वरूप पि0 जयराम, तिजाई बेवा जयराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	124	4-13-00	बा0दो0
		147	5-10-00	बा0दो0
		177	9-06-00	चा0चा0
		182	3-18-00	चा0चा0
		199	3-11-00	चा0चा0
		133/मीन	6-02-00	
	योग	6	33-00-00	

वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा एवं राजीनामा को निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कांवलिया कलां पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	05-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	12-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner